

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रानीगंज बड़कीखाप तक पथ निर्माण कार्य संवेदक मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, प्रो0-मनोज कुमार, (निबंधन संख्या- 666/2012 श्रेणी-प्रथम), अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार को आवंटित था, जिसका एकरारनामा सं0-06/SBD/PMGSY/2013-14 है।

उक्त पथ के निर्माण कार्य के लंबित रखने के कारण मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3448 अनु0 दिनांक-28.07.2020 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु विभाग को अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2792 दिनांक-21.08.2020 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में संवेदक मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, (निबंधन संख्या- 666/2012 श्रेणी-प्रथम) कोई जबाव विभाग को नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक मेसर्स कुमार अभिषेक कन्स0, अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार के (निबंधन संख्या- 666/2012 श्रेणी-प्रथम), को विभागीय सकारण आदेश संख्या-3347 दिनांक 14.09.2020 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

उक्त Blacklisting आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा **Civil Writ Jurisdiction Case No-15373/2021** माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसका Operative Part निम्नवत् है:-

2. We are interfering only in respect of blacklisting the petitioner for a period of ten (10) years. Matter was heard from time to time, asking the petitioner to furnish his reply to the blacklisting notice. The petitioner is stated to have submitted his reply, however, copy is not made available. On the other hand, custodian of the original records-respondents made statement that office records were burnt in a fire accident on 11.05.2022. Thereafter, an F.I.R. was registered on 12.05.2022. In this backdrop, in order to render justice, the impugned blacklisting order dated 07.12.2019 is set aside and the matter is remanded to the concerned official respondent to proceed afresh in issuing a detailed specific notice of blacklisting the petitioner in the light of Apex Court's decision in the case of UMC Technologies Pvt. Ltd. vs. Food Corporation of India and Another, reported in (2021) 2 SCC 551 (Para-13 & 14) read with Isolators and Isolators Through Its Proprietor Mrs. Sandhya Mishra vs. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidhut Vitran Co. Ltd. & Amr. reported in 2023 SCC Online SC 444 (para-20).

3. In this regard, the official respondent is hereby directed to issue a specific notice within a period of one month from the date of receipt of this order. Thereafter, Petitioner is permitted to file his explanation to the show cause notice within one month from the date of receipt of show cause notice. Consequentially, the Competent Authority is hereby directed to pass a detailed speaking order insofar as blacklisting is concerned and communicate the same.

4. The above exercise shall be completed within a period of four months from the date of receipt of this order.

5. The termination of contract and forfeiting EMD, if any, the petitioner is at liberty to invoke arbitration remedy, if it is available to him.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Civil Writ Jurisdiction Case No-15373/2021 में पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता संवेदक मेसर्स कुमार अभिषेक कन्सो, (निबंधन संख्या- 666/2012 श्रेणी-प्रथम), अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार के Blacklisting से संबंधित विभागीय पत्रांक-3347 दिनांक-14.09.2020 को निरस्त किया जाता है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
/पटना, दिनांक:-28/11/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-115/2021-6050

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
/पटना, दिनांक:-28/11/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-115/2021 - 6050

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
/पटना, दिनांक:-28/11/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-115/2021 - 6050

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
/पटना, दिनांक:-28/11/23

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-115/2021 - 6050

प्रतिलिपि:-संवेदक मेसर्स कुमार अभिषेक कन्सो, (निबंधन संख्या-666/2012 श्रेणी-प्रथम), अशोक नगर, भटबिगहा, गया, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
/पटना, दिनांक:-28/11/23